न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **54 / 2023** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2023/83

कालुसिंह पिता रघुनाथ राणा निवासीः भोपत खेड़ी, तहसील–मावली, उदयपुर हाल कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार कुराबड़, उदयपुर

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मीठालाल पुत्र श्री सवलाल निवासीः खेमपुर, तहसील–मावली, उदयपुर

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 1225 / 2019 ना.क.
दिनांक 04.02.2020

उपस्थित : श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार
श्री सम्पत सामौता, अधिवक्त रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः– 23/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 1225 / 2019 आदेश दिनांक 04.02.2020 से नाराज होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी राजकीय सेवक भू–अभिलेख निरीक्षक फतहनगर, तहसील मावली होने के नाते उपतहसीलदार सनवाड़ तहसील मावली के आदेश क्रमांक 2019 / 26 दिनांक 05.03.2019 के आदेशानुसार प्रकरण संख्या 442 / 2019 नाजायज कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मौजा खेमपुर तहसील मावली की आराजी सं. 432 रकबा 0.010 आधा बीस्वा किस्म पाल मौके पर रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसकी धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का खेमपुर जांच भू०अभि० निरीक्षक मावली द्वारा कर रखी थी। इस बाबत मौके की पुनः जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु न्यायालय उप तहसीलदार सनवाड़ द्वारा आदेशित किया गया जिस पर अपीलार्थी ने मौजा खेमपुर तहसील मावली के आराजी सं. 432 व आराजी सं. 464 के मौके का निरीक्षण दिनांक 08.04.2019 को किया गया तथा जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी ने यह अंकित किया कि आराजी सं. 432 रकबा 15.11 बीघा किस्म पाल मौके पर रास्ता खेमपुर से लदानी जाने के रास्ते के काम आ रही है तथा पूर्व की ओर आराजी सं. 464 रकबा 2.05

जिला कलक्टर
उदयपुर

बीघा जमाबंदी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का द्वारा आराजी सं. 432 बिलानाम में रकबा 0.010 बीस्वा भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है इसके अलावा आराजी नं. 432 व 464 के मध्य की मेड राजस्व नक्शे में सीधी लाईन है जबकि मौके पर 464 की बाउण्ड्री वाल सीधी लाईन में नहीं है, आराजी नं. 464 की सीमा के उत्तर व दक्षिणी सीमा पर बिन्दु सही है। बाउण्ड्रीवाल में खांचानुमा कर रखा है अतः रिकार्ड व मौकेनुसार पटवारी हल्का खेमपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सही है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 उपतहसीलदार सनवाड से असतुंष्ट होने से माननीय न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर पत्रावली को न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के यहां स्थानान्तरित करवायी गयी। तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा दिनांक 05.12.2019 को प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट सं 2 को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की। रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा कोई जवाब खंडन करने वाला प्रस्तुत नहीं किया बल्कि उपखंड अधिकारी मावली के समक्ष अन्य आराजी जो उसकी खातेदारी की है उसकी रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के यहां प्रस्तुत की। तहसीलदार वल्लभनगर के द्वारा अपने स्तर पर बिना जांच कराये अन्य पत्रावली प्र.सं. 23/2019 (वाद), 15/2019 (प्रार्थना पत्र) की रिपोर्ट पर आधारित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण नहीं माना जबकि तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा आराजी सं. 432 की अतिक्रमित भूमि से सटमा अतिकर्मी की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 464 रकबा 2.05 बीघा की ई.टी.एस. की एक सर्वे रिपोर्ट से रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने निजी तौर पर अपने स्तर से ही बनवाकर गठित सर्वेदल को उपलब्ध करवायी उसको आधार बनाकर गठित सर्वे दल ने दिनांक 02.08.2019 को यह रिपोर्ट कर दी कि नक्शे लठ्ठे से उक्त आराजी सं. 464 की नप्ती की गयी। नप्ती अनुसार आराजी नं. 464 का क्षेत्रफल 2.05 बीघा या 39205 वर्गफीट जो जमाबंदी अनुसार मौके पर मौजूद है। वक्त भू–प्रबन्ध सम्पूर्ण ग्राम खेमपुर में बीस्वा से छोटी इकाई क्षेत्रफल में प्रयुक्त नहीं की गयी है, अतः बीस्वा से छोटी इकाई की क्षेत्रफल गणना व्यवहारिक नहीं होना निवेदित है। ई.टी.एस. सर्वे रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाई। आराजी सं. 432 रास्ता राजस्व नक्शे में 2.5 गट्टे (औसत) मौके पर भी मौजूद होकर बाधित नहीं है। इस प्रकार कथित गठित सर्वेदल ने अतिक्रमी के आधे बीस्वा के अतिक्रमण की न केवल अनदेखी की बल्कि अतिक्रमित क्षेत्रफल की गणना करने को अव्यवहारिक बता दिया तथा अतिक्रमी के द्वारा दुषित ईटीएस सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध करवायी जिससे गठित सर्वेदल ने परिक्षित ही नहीं किया एवं गठित सर्वे दल ने रास्ते के आराजी सं. 432 में से आधा बीस्वा भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 का अतिक्रमण है या नहीं इस बात का परीक्षण नहीं किया जबकि अपीलार्थी द्वारा की गयी रिपोर्ट में बाउण्ड्रीवाल मौके पर सीधी लाईन में न होकर खांचानुमा कर रखा है, इंगित किया है, जिसको सर्वेदल द्वारा नजरी नक्शे में भी बताया व प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ईटीएस सर्वे नक्शे में बताया है परन्तु खांचानुमा भाग को सर्वे टीम

जिला कलक्टर
उदयपुर

ने क्षेत्रफल गणना में शामिल नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर ने उपरोक्त सारे तथ्यों पर बिना मनन किये अपीलार्थी को बिना कोई साक्ष्य सबुत पेश करने का मौका दिये विधि न्याय एवं नियमों के विरूद्ध जाकर अतिक्रमण को बढ़ावा देने की नियत से कथित निर्णय पारित करते हुए कथित निर्णय को नियमों के विपरित जाकर उपतहसीलदार सनवाड, अपीलार्थी एवं हल्का पटवारी के विरूद्ध टिप्पणी करते हुए निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थी भू अभिलेख निरीक्षक फतेहनगर तहसील मावली पर तात्कालीन सेवारत होकर उपतहसीलदार सनवाड के आदेशानुसार मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड के यहां प्रस्तुत की थी जो बतौर कमीश्नर की हैसियत से न्यायिक कर्तव्य/दायित्व की पालना में तैयार की गयी थी लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि न्याय एवं नियमों के विपरित जाकर कथित निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 सिविल न्यायालय मावली में उनके खातेदारी के आराजी सं. 464 बाबत वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 38/2019 ई.दी. है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार मावली की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में मौके की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है "वास्तविक स्थिति के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपनी आराजी की कृषि भूमि के एक तरफ पक्की दीवार बनाकर लोहे की फाटक लगा रखी है तथा इस दीवार को आराजी सं. 432 की तरफ दीवार की तरफ अतिक्रमण करके ज्यादा अपनी खातेदारी की आराजी के बाहर निकाल कर निर्माण कार्य कर लिया है तथा उक्त निर्माण त्रिभुजाकार में होकर इस दीवार पर अतिक्रमणशुदा निर्माण में एक ट्यूबवेल भी अविधिक खुदवा रखी है जो नाजायज है। आराजी नं. 432 किस्म पाल होकर वर्तमान में मौके पर रास्ता है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सडक का निर्माण करवाया जाना होने से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा राजस्व विभाग से रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में मौके पर अतिक्रमियों को चिन्हीत किया गया तथा हल्का पटवारी खेमपुर ने मौके की रिपोर्ट मौतबीरान की उपस्थिति में दिनांक 04.02.2019 को बनायी गयी" इस प्रकार तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट सं 2 का उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण माना है लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार का कथित जवाब दिनांक 13.05.2019 को भी नजरअंदाज करते हुए तथा मौके की वास्तविक स्थिति को भी नजर अंदाज करते हुए अतिक्रमी को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से कथित निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने एक वाद सहायक कलक्टर महोदय मावली में भी उनकी खातेदारी की आराजी सं. 464 के बाबत प्रस्तुत किया उसमें भी रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपने निजी स्तर पर पृथक से सर्वेदल गठित करवाया तथा उसमें उनके खातेदारी की आराजी की रिपोर्ट बनवाने में कथित जिस ईटीएस मशीन द्वारा रिपोर्ट बनवायी हुई बताकर अतिक्रमी ने सर्वेदल को गलत जानकारी दी, जबकि अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आराजीयात बाबत सेवानिवृत सेटलमेन्ट अमीन से विवादित स्थल की गठित

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर

जिला कलक्टर
उदयपुर

टीम की रिपोर्ट एवं निजी तौर पर तैयार की गयी ई.टी.एस. मशीन की सर्वे की मूल लठे नक्शे से तुलनात्मक जांच करवायी है, जिसमें सेवानिवृत सेटलमेन्ट अमीन ने यह अंकित किया है कि

1. गठित राजस्व टीम द्वारा अपनी तरफ से किसी मुस्तकील पोईन्ट से नाप नहीं किया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट स. 2 द्वारा प्रस्तुत ईटीएस सर्वे को ही सही मानते हुए मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
2. ईटीएस मशीन द्वारा की गयी सर्वे रिपोर्ट मुताबिक रेवेन्यु नक्शे खसरा नं. 464 से कतई मेच नहीं करती है। ई.टी.एस. सर्वे में सभी मेडो (पालियों) के अपने मन मुताबिक सेट कर दर्शायी गयी है जो गलत है।
3. ईटीएस मशीन द्वारा की गयी सर्वे रिपोर्ट में खसरा नं. 464 की पूर्वी सीमा को खसरा नं. 465, 462 के अंदर दर्शायी गयी है। पूर्वी सीमा पर कोई मोड नहीं बताया गया है जबकि रेवेन्यु नक्शे में मोड है। ईटीएस सर्वे से खसरा नं, 461, 462 पूर्वी सीमा एवं खसरा नं. 345, 346, 347 पश्चिमी सीमा की भी सर्वे उठाकर नक्शा प्रस्तुत करना था।
4. सर्वे टीम द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे मे खसरा नं. 464 उत्तरी मेड (पाली) को 295 फीट दर्शायी गयी है जबकि मुताबिक नक्शा 40.5 गट्टे अर्थात 267 फीट होना चाहिए थी।
5. जमीन की नप्ती मौके अनुसार नहीं होकर मुताबिक राजस्व नक्शे के होनी चाहिए जबकि प्रस्तुत रिपोर्ट में राजस्व नक्शें को नज़रअंदाज करते हुए मुताबिक मौका ईटीएस मशीन द्वारा की गयी रिपोर्ट को ही सही मान लेना गठित टीम की कार्यशैली पर सवाल खडे होते है तथा कथित रिपोर्ट संदेहास्पद प्रकट होती है।
6. अमीन द्वारा प्रस्तुत नक्शें में रक़बा 2.05 बीघा खसरा नं. 464 का बैठ जाता है। जबकि ईटीएस द्वारा प्रस्तुत नक्शे में खसरा नं. 464 के साथ–साथ खसरा नं. 462, 465 का रकबा भी शामिल है परन्तु रिपोर्ट में रास्ता खसरा नं. 432 को सही बताया गया है जबकि मुताबिक ईटीएस नक्शे में रास्ता चौडा बताया गया है तथा खसरा नं. 464 की जमीन खसरा नं. 432 में शामिल होना बताया गया है।

इस तरह विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा अपने निजी स्तर पर तैयार करवायी गयी ईटीएस रिपोर्ट को आधार मानकर कथित निर्णय को अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विधि, न्याय एवं नियमों की अवहेलना करते हुए कारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली के प्रकरण सं. 23/2019 रेवेन्यू वाद व प्रार्थना पत्र 15/2019 में रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो निजी तौर पर तैयार करवायी गयी थी उस पर आधारित होकर आराजी सं. 464 रकबा 2.05 बीघा भूमि के संदर्भ में तैयार की गयी थी जिस पर आधारित होकर कथित आदेश पारित किया है जो विधि, तथ्यों के आधार पर गलत है, जबकि अतिक्रमण वाली भूमि आराजी सं. 432 के संदर्भ में पूर्व में जांच रिपोर्ट को खण्डन करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर (राज.)

जिला कलक्टर
उदयपुर

कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के कथित निर्णय को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लिंक प्रकरण संख्या 71/22 अपील(राजस्व) के साथ तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपतहसीलदार सनवाड़, तहसील मावली के आदेश क्रमांक 2019/26 दिनांक 05.03.2019 के अनुसार प्रकरण संख्या 442/2019 नाजायज कब्जा में रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा मौजा खेमपुर, तहसील मावली स्थित आराजी संख्या 432 रकबा 0.010 बीस्वा किस्म पाल (रास्ता भूमि) पर अतिक्रमण किया गया था, जिसकी धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का खेमपुर द्वारा जांच कर भू–अभिलेख निरीक्षक मावली को प्रस्तुत की गई थी। उक्त प्रकरण में उपतहसीलदार सनवाड़ द्वारा मौके की पुनः जांच के आदेश दिए जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.04.2019 को आराजी संख्या 432 एवं 464 का निरीक्षण किया गया। जांच उपरांत आराजी संख्या 432 रकबा 15.11 बीघा किस्म पाल मौके पर खेमपुर से लदानी जाने वाले रास्ते के रूप में उपयोग में है तथा इसकी पूर्व दिशा में आराजी संख्या 464 रकबा 2.05 बीघा जमाबंदी अनुसार रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा आराजी संख्या 432 में रकबा 0.010 बीस्वा भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 432 एवं 464 के मध्य की मेड सीधी दर्शित है, जबकि मौके पर आराजी संख्या 464 की बाउंड्रीवाल सीधी रेखा में नहीं पाई गई। हालांकि उत्तर एवं दक्षिणी सीमाओं के बिंदु सही पाए गए। इन तथ्यों के आधार पर पटवारी हल्का खेमपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को सही पाया गया। रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा उपतहसीलदार सनवाड़ के आदेश से असंतुष्ट होकर जिला कलेक्टर उदयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर के न्यायालय में स्थानांतरित की गई। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा बिना स्वतंत्र जांच कराए उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष अन्य आराजी जो उसकी खातेदारी की है उसकी रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के यहां प्रस्तुत की उसी आधार पर रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा रास्ते की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को अतिक्रमण नहीं माना गया। रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी संख्या 464 की निजी स्तर पर तैयार करवाई गई ई.टी. एस. सर्वे रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर गठित सर्वे दल द्वारा दिनांक 02.08.2019 को यह रिपोर्ट दी गई कि आराजी संख्या 464 का क्षेत्रफल 2.05 बीघा अथवा 39205 वर्गफीट है, जो जमाबंदी अनुसार मौके पर विद्यमान है। सर्वे रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि सम्पूर्ण ग्राम खेमपुर में बीस्वा से छोटी इकाई में क्षेत्रफल माप की प्रथा नहीं है। उक्त ई.टी.एस.

जिला कलक्टर
उदयपुर

रिपोर्ट के आधार पर आराजी संख्या 432 (रास्ता भूमि) को राजस्व नक्शे अनुसार 2.5 गट्टे चौड़ा व निर्बाध मानते हुए अतिक्रमण नहीं माना गया। विद्वान तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना एवं तथ्यों पर सम्यक विचार किए बिना विधि एवं नियमों के प्रतिकूल जाकर कथित निर्णय पारित किया गया तथा उपतहसीलदार सनवाड़, अपीलार्थी एवं हल्का पटवारी के विरुद्ध अनुचित टिप्पणियाँ की गई। उक्त निर्णय अतिक्रमण को प्रोत्साहित करने वाला तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खेमपुर तहसील मावली के आराजी संख्या 432 रकबा 0.01 बीघा(आधा बिस्वा) किस्म पाल पर अतिक्रमण होने पटवारी हल्का खेमपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड़ में दर्ज हुआ। विपक्षी मीठालाल द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई उपतहसीलदार सनवाड़ से अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय आप में प्रस्तुत किया जिस पर आप न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2019 से विपक्षी मीठालाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार वल्लभनगर के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। दिनांक 06.08.2019 को न्यायालय सहायक कलक्टर मावली में धारा 188 के प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा आराजी संख्या 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें आराजी संख्या 432 किस्म रास्ता राजस्व नक्शे में 2.5 गट्ठे (औसत) मौके पर मौजूद होकर बाधित नहीं है, का अंकन किया। इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को गलत बताते हुए अतिक्रमण नहीं माना है। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश दिनांक 04.02.2020 से किस प्रकार प्रभावित है, यह स्पष्ट नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आराजी संख्या 432 रकबा आधा बिस्वा भूमि पर प्रत्यर्थी का कब्जा होना बताना पूर्णतः मिथ्या है। वास्तविकता यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 की मौजा खेमपुर स्थित आराजी नम्बर 464 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में खेमपुर से लदानी जाने का रास्ता विद्यमान है, जो मौके पर लगभग 18 से 22 फीट चौड़ा है, जबकि राजस्व नक्शे में इसकी चौड़ाई 12 से 13 फीट दर्ज है। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी खातेदारी की कुछ भूमि रास्ते की ओर छोड़कर शेष भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण कर लौहे के दो फाटक लगाए गए हैं तथा खातेदारी भूमि की सीमा के भीतर ट्यूबवेल स्थापित है, जिसका शांतिपूर्वक उपयोग किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा राजनैतिक दबाव एवं दुर्भावनावश बिना किसी लिखित सूचना के प्रत्यर्थी की कृषि भूमि में अनधिकृत रूप से प्रवेश कर दिनांक 04.02.2019 को कथित अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर उप तहसीलदार सनवाड़ द्वारा बेदखली की कार्यवाही

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा तहसीलदार सनवाड़ के समक्ष आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के तहत पुनः जांच हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार कर भू–अभिलेख निरीक्षक कालूसिंह राणा को मौके की जांच का आदेश दिया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.03.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि मौके पर फसल खड़ी होने के कारण सटीक नपती संभव नहीं है तथा सेटलमेंट नक्शे से ट्रेस मंगवाकर खेत खाली होने के पश्चात नपती किया जाना उचित होगा। इसके बावजूद मात्र 12 दिवस के भीतर ही बिना सूचना दिए एवं मौके पर आए बिना पूर्व में बनाई गई दिनांक 04.02.2019 की रिपोर्ट को सही बताते हुए दिनांक 08.04.2019 को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जो स्पष्टतः मनमानी, भ्रष्टतापूर्ण एवं दुर्भावनापूर्ण है। यह कार्यवाही राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 141(घ) के स्पष्ट उल्लंघन में की गई। उक्त कृत्यों के विरुद्ध पुलिस थाना फतहनगर में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी विचाराधीन है। निष्पक्ष न्याय हेतु प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने का आवेदन किया गया, जिस पर कार्यवाही को राजनैतिक दबाव से प्रभावित मानते हुए पत्रावली तहसीलदार वल्लभनगर को स्थानांतरित की गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष स्थाई एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जो आज भी प्रभावी है। तत्पश्चात तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्यों के आधार पर बेदखली की कार्यवाही को निरस्त किया गया। अपीलार्थी द्वारा तैयार की गई अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट मनमाने ढंग से एवं राजनैतिक दबाव में बनाई गई थी। तहसीलदार वल्लभनगर का निर्णय विधि, तथ्यों एवं अभिलेखों के अनुरूप है तथा इससे किसी प्रकार का अतिक्रमण प्रोत्साहित नहीं हुआ है, बल्कि वास्तविक न्याय स्थापित हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील केवल स्वयं के विरुद्ध लंबित फौजदारी एवं विभागीय कार्यवाही से बचने के उद्देश्य से मिथ्या एवं मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। अपील में अपील अवधि प्रारम्भ होने की तिथि का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि प्रकरण संख्या 1225/2019 ना.क. का निर्णय दिनांक 04.02.2020 को पारित हो चुका था, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पूर्णतः थी। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है वह उससे किस प्रकार प्रभावित है यह स्पष्ट नहीं है। यदि अपीलार्थी अपने उच्चाधिकारी द्वारा पारित निर्णय से असंतुष्ट था तो उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त की जा सकती थी। किन्तु प्रकरण राजकीय भूमि से सम्बन्धित होकर राजहित निहित है ऐसी स्थिति में अतिक्रमण के संबंध में वास्तविक स्थिति की जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
उदयपुर

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि वह टीम का गठन कर राजस्व ग्राम खेमपुर तहसील मावली की आराजी संख्या 432 किस्म पाल पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जांच करे। अतिक्रमण पाये जाने की स्थिति में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दो माह में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर को सूचनार्थ एवं तहसीलदार मावली/उपतहसीलदार सनवाड को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर